

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
मोहनपुर, दरभंगा।

पटना, दिनांक -

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101 आयुर्वेद-0004 आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर, दरभंगा, विपत्र कोड- 20-2210051010004 मांग संख्या- 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाईयों में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि कुल 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश से वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक-31.03.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 101 आयुर्वेद-0004 आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर, दरभंगा, विपत्र कोड-20-2210051010004 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा तथा प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक 12.02.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करा हुआ किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह फरवरी 2018 तक के विहित नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।

11. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

13. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

AM

ज्ञाप सं०- 51 (ब) आ. चि. /पटना, दिनांक - 19.03.2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी, दरभंगा/जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव


AM

0004 आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर, दरभंगा वित्तीय वर्ष 2017-18

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	तृतीय अनुपूरक की राशि	कुल उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेतन	01 01	5360000	600000	5960000	5360000	600000	5960000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	7070000	400000	7470000	7070000	400000	7470000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	886000	0	886000	886000	0	886000	0
4	चिकित्सा भत्ता	01 06	48000	0	48000	48000	0	48000	0
5	अन्य भत्ता	01 07	6000	0	6000	6000	0	6000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		13370000	1000000	14370000	13370000	1000000	14370000	0
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	100000	0	100000	100000	0	100000	0
7	यात्रा व्यय	11 01	100000	0	100000	100000	0	100000	0
8	कार्यालय व्यय	13 01	550000	0	550000	550000	0	550000	0
9	दूरभाष	13 03	25000	0	25000	25000	0	25000	0
10	विद्युत प्रभार	13 04	100000	0	100000	100000	0	100000	0
11	विधि प्रभार	13 05	100000	0	100000	100000	0	100000	0
12	वर्दी पोशाक	13 06	50000	0	50000	50000	0	50000	0
13	किराया म0 एवं कर	14 01	500000	0	500000	500000	0	500000	0
14	प्रशिक्षण व्यय	20 03	0	0	0	0	0	0	0
15	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0
16	दवा भंडार	21 02	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0
17	संविदा सेवार्ये	28 02	250000	500000	750000	250000	500000	750000	0
	योग		18145000	1500000	19645000	18145000	1500000	19645000	0

(पन्द्रह लाख) रु० मात्र



सरकार के विशेष सचिव

की

51 'ब' आ. चि.
19.03.2018